

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

OFSS के माध्यम से इण्टर कक्षा में विभिन्न सत्रों के लिए नामांकन हेतु विवरणिका एवं आवेदन शुल्क की राशि वापस करने के संदर्भ में संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्यों के लिए आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इण्टर कक्षा में OFSS के माध्यम से विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया विवरणिका एवं आवेदन शुल्क 200/- रु० प्रति विद्यार्थी की दर से संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय को वापस किया जाना है।

2. कतिपय विद्यालय/महाविद्यालय के बैंक खाता का विवरण समिति कार्यालय में या तो अप्राप्त है अथवा त्रुटिपूर्ण है। इस हेतु **दिनांक 23.07.2026 से 03.08.2026 तक** ओ0एफ0एस0एस0 पोर्टल खुला रहेगा। इण्टरस्तरीय सभी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक ओ0एफ0एस0एस0 पोर्टल पर लॉगिन कर अपने बैंक खाता की जांच कर लें। यदि बैंक विवरणी में कोई त्रुटि हो तो वैसी स्थिति में वे अपने खाता का बैंक विवरणी में संशोधन करना सुनिश्चित करें। वैसे शिक्षण संस्थान जिनके बैंक विवरणी दर्ज नहीं है, वे अपने खाते का बैंक विवरणी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3. विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अपने शिक्षण संस्थान के बैंक खाता का विवरण ओ0एफ0एस0एस0 पोर्टल पर **दिनांक 23.07.2026 से 03.08.2026 तक निम्न रूप से भरना सुनिश्चित करें :-**

- (i) शिक्षण संस्थान का बैंक खाता संख्या
- (ii) शिक्षण संस्थान के बैंक खाता में खाता धारक का नाम
- (iii) बैंक का नाम
- (iv) बैंक का IFSC CODE (Zero एवं 'O' Letter को पूर्णरूपेण सही से अंकित किया जाए)
- (v) बैंक शाखा का नाम

4. **शिक्षण संस्थान द्वारा OFSS पोर्टल पर बैंक खाता भरने की प्रक्रिया :-**

- (i) OFSS पोर्टल (<https://ofssbihar.net/OFSS-Portal>) पर Login करें।
- (ii) College Information पर Click करें।
- (iii) Manage Bank लिंक पर Click करें।
- (iv) बैंक विवरण Upload करने/संशोधन करने के लिये Add Button पर Click करें।
- (v) विवरण को Confirm करने के लिये "Click Here For OTP" Button पर Click करें।
- (vi) OFSS पोर्टल पर पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP को भरें।
- (vii) Submit Button पर Click करें।

5. उपरोक्त संबंधित सभी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अपने शिक्षण संस्थान के बैंक खाता का विवरण **दिनांक 03.08.2026 तक** अनिवार्य रूप से ओ0एफ0एस0एस0 पोर्टल पर भरें/संशोधन करें अन्यथा आवेदन एवं विवरणिका शुल्क की राशि उनके बैंक खाता में स्थानांतरित नहीं हो सकेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी।

6. उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर समिति के हेल्पडेस्क के **दूरभाष संख्या 0612-2230009 / 0612-2230051** पर संपर्क किया जा सकता है।

नोट :- सभी प्राचार्य एवं उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अपने विद्यालय/महाविद्यालय के बैंक का विवरण सावधानी पूर्वक भरेंगे। बैंक का विवरण गलत भरने पर भुगतान की राशि दूसरे बैंक अकाउन्ट में चली जायेगी एवं इसकी जवाबदेही पूर्ण रूप से संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके लिये जवाबदेह नहीं होगी।